१

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्रीमती मनीषा त्रिपाठी (जन्मदिनांक 05.04.1974) तत्कालिन व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी वर्तमान में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मायापुर (नागौर) इनके व्याख्याता पद के वरिष्ठता क्रमांक 585/2003–04 को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3) के अनुरूप ग्रुप–डी–II के अनुरूप प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष विभागीय पदौन्नति समिति बैठक द्वारा रिव्यु रिविजन सूची वर्ष 2015–16 के रिक्तीयों के विरूद्ध चयनोपरान्त, निदेशालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/बी–2/प्रधानाचार्य /2015–16 दिनांक 30.09.2015 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजपुर (भीलवाड़ा) के पद पर पदस्थापित किया गया था। संशोधित आदेशों की पालना में पदौन्नति पर कार्यग्रहण किया। श्रीमती त्रिपाठी वर्तमान में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मायापुर (नागौर) में कार्यरत हैं।

श्रीमती त्रिपाठी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मायापुर (नागौर) ने आवेदन पत्र दिनांक 06.03.2017 के द्वारा स्वास्थ्य सबंधी कारणों व पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रधानाचार्य पद से व्याख्याता पद पर पदावन्नत करने की मांग की हैं।

श्रीमती त्रिपाठी स्थाई लोक सेवक के रूप में कार्यरत थे, राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 15 के अधीन श्रीमती त्रिपाठी पूर्व कार्यरत स्थाई पद व्याख्याता हिन्दी के पद पर पदाधिकार (लियन) नियमानुसार रखती हैं। इनकी स्वयं की प्रार्थना पत्र पर एवं इनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारणों को स्वीकार करते हुये, इनको प्रधानाचार्य (उमावि) के पद से व्याख्याता के पद पर एतद् द्वारा पदावन्नत किया जाता हैं एवमं व्याख्याता हिन्दी पद पर पदस्थापन हेतु संस्थापन सी–अनुभाग को सुपुर्द किया जाता हैं।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/संस्था/ए–2–7 /पदावनत/2017 दिनांक : 03.04.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–शिक्षा नागौर
4. श्रीमती त्रिपाठी प्रधानाचार्य, (पदावन्नत–व्याख्याता) राउमावि मायापुर (नागौर) को भेजकर लेख है कि व्याख्याता हिन्दी के पदस्थापन आदेश प्राप्त होने पर वे अपने पद का चार्ज विद्यालय के वरिष्ठतम कार्मिक को सुपुर्द कर एवं शालादर्पण को अपडेट कर तत्काल कार्यमुक्त होवे।
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मायापुर (नागौर)
6. अनुभाग अधिकारी संस्थापन–सी, प्रभाग– कार्यालय हाजा को पदस्थापन हेतु।
7. प्रभारी संस्थापन बी–I, बी–II एवं बी–III को कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर